IJAER/ November-December 2023/Volume-12/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

आतंकवाद से पीड़ित व्यक्तियों के मानव अधिकारों का विश्लेषण (भारत वर्ष के विशेष सन्दर्भ में)

Bablu Khichi
Research Scholar
Vikram University, Ujjain (M.P.)

Prof. (Dr.) Inamur Rehman
Research Supervisor
Government New Law College, Indore (M.P.)

विषय प्रवेश :

आतंकवाद से पीड़ित व्यक्तियों के मानव अधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते समय कई पहलुओं का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है. यहां कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जो इस अध्ययन को संरचित बना सकती हैं भारत में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह लगातार और खतरनाक तरीके से काम करते हैं, राष्ट्रीय संपत्तियों को नष्ट करते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए राज्य के पास सीमित भौतिक संसाधन हैं। वहीं दूसरी ओर आतंकवादी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं. आतंकवाद की समस्या पुरानी है लेकिन चुनौतियाँ नई हैं। इसने विश्व अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन को काफी प्रभावित किया है। यह मानव जाति के लिए एक अभिशाप है। मानवाधिकार और आतंकवाद के बीच गहरा संबंध है। यह ज्ञात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व व्यापार केंद्र पर 9/11 के हमले और 13 दिसंबर, 2001 को भारत पर हुए हमलों के बाद दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में दर्ज इतिहास में कई चरणों में आतंकवाद एक रूप में दूसरे रूप में अस्तित्व में था। संसद और 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए हमले के बाद आतंकवाद ने नया आयाम ग्रहण कर लिया और आधुनिक सभ्य समाज की बुनियाद को खतरे में डाल दिया है। भारत आतंकवाद से अछूता नहीं है। यह लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित रहा है, चाहे वह उत्तर-पूर्व हो, पंजाब हो या जम्मू-कश्मीर हो। हालाँकि, पिछले आधे दशक से विशेष रूप से आतंकवाद देश के अन्य हिस्सों में तेजी से फैल रहा है।

प्रस्तावना

आतंकवाद ने दुनिया के कोने-कोने तक अपनी पहुंच बना ली है, बहुत कम देश इसके दुष्प्रभाव और परिणामों से बचे हैं। पिछले कुछ दशकों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि ने आतंकवाद को वर्तमान समय की सबसे चिंताजनक समस्याओं में से एक बना दिया है। आज, दुनिया भर में लोगों और सरकार को सीधे

प्रभावित करने वाले मुद्दों में से, आतंकवाद ने लगभग सभी राज्यों को ऐसे उपद्रवियों के हाथों पीड़ित होने के साथ केंद्र का स्थान ले लिया है। पिछले तीन दशकों से आतंकवादी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये आतंकवादी समूह कई प्रकार के कृत्यों में लगे हुए हैं जो जनता का ध्यान अपने कारणों की ओर आकर्षित करते हैं, हत्या में उनकी भागीदारी, राजनयिकों, राजनेताओं और उनके करीबी रिश्तेदारों का अपहरण, भीड़ भरे स्थानों, दूतावासों, व्यापारिक घरों और पूजा स्थलों पर बमबारी, अपहरण। और समुद्री डकैती और परमाणु आतंकवाद के खतरे ने सार्वजनिक जीवन में अत्यधिक भय और अनिश्चितता पैदा कर दी है और इससे विश्व शांति, सुरक्षा और व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई है।

यह एक अतिप्रतिक्रिया बन जाती है और ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने में सरकार की अक्षमता को प्रदर्शित करती है। ऐसी घटनाओं का उद्देश्य ऐसी आतंकवादी गतिविधियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के बजाय जनता के मनोविज्ञान को प्रभावित करना है। आतंकवादी आमतौर पर आम जनता के अधिकारों का उल्लंघन करके और उन्हें अपनी मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करके किसी भी देश की सरकार के साथ दिमागी खेल खेलते हैं। वर्षों बीतने के साथ, आतंकवाद के चेहरे पर एक बड़ी उथल-पुथल हुई है और दुनिया भर के राज्य इस तरह के कृत्यों का शिकार बन गए हैं और बहुत कम देश बच पाए हैं। इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान शोध आतंकवाद के इतिहास और विवरण को रेखांकित करेगा; आतंकवाद से संबंधित टाडा, पोटा और यूएपीए जैसे कानूनों का विश्लेषण करें और उन परिस्थितियों का विश्लेषण करें जिनके तहत इसे निरस्त किया गया है। वर्तमान में लागू कानून, एनआईए अधिनियम की जांच देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अधिनियम की दक्षता का पता लगाने के लिए की जाएगी। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित कानूनों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय शासन में आतंकवाद से संबंधित कानूनों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में आतंकवाद का प्रभाव इस विषय पर व्यापक दृष्टिकोण देगा। बदलती दुनिया में, जहां युद्ध और आतंकवादी गतिविधियां बड़े पैमाने पर हैं, यह अध्ययन आतंकवाद की समस्या को समझने के लिए प्रेरणा देगा और ऐसे कृत्यों से निपटने के लिए साधन और उपाय सुझाएगा।

आतंकवाद

आतंकवाद को "हिंसा का उपयोग" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष पीड़ित को शारीरिक और मानसिक क्षति होती है और किसी अन्य पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसमें आतंकवादी की भावना और प्रेरणा भी शामिल है. आतंकवाद के परिणामस्वरूप मृत्यु, चोट या संपत्ति का विनाश या स्वतंत्रता से वंचित होना पड़ा।

"आतंकवाद" शब्द "आतंकवाद" शब्द से लिया गया है, जो फ्रेंच में लैटिन भाषा से संबंधित है जिसका अर्थ है "टेरेर" (कांपने का कारण)। इस शब्द का प्रयोग मूल रूप से 1795 में जैकोबिन क्लबों के शासन के दौरान उनके कार्यों को समझाने के लिए किया गया था। फ्रांस की क्रांति के बाद की अवधि को 'आतंक का क्षेत्र' के रूप में जाना जाता था। उस समय तक यह कहा गया था कि जैकोबिन्स ने उन्हें "आतंकवादी" के रूप में रिपोर्ट किया था। "आतंकवाद भय पैदा करने, व्यवधान पैदा करने और अंततः निर्दिष्ट राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक मांगों का अनुपालन कराने के लिए हिंसा, सामाजिक खतरों या समन्वित हमलों का उपयोग करने की रणनीति को संदर्भित करता है।" यूरोपीय संघ ने "आतंकवाद" को "किसी देश की मौलिक राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक या सामाजिक संरचनाओं को अस्थिर या नष्ट करना" के रूप में परिभाषित किया है।

यूएस कोड ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आतंकवाद को इस प्रकार परिभाषित किया है: "राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी सरकार, नागरिक आबादी या उसके किसी भी वर्ग को डराने या मजबूर करने के लिए व्यक्तियों या संपत्ति के खिलाफ बल और हिंसा का गैरकानूनी उपयोग।" एफबीआई आतंकवादियों की उत्पत्ति, आधार और उद्देश्यों के आधार पर आतंकवाद का वर्णन घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय के रूप में करती है।"5 वास्तव में, "आतंकवाद" एक "वाद" है। यह व्यवस्थित तकनीक में कुछ युक्तियों का उपयोग करने का एक तरीका है जो मूल रूप से कुछ निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों के मन में आतंक या खतरा पैदा करने में विश्वास रखता है। सामान्य शब्दावली में "आतंक" का अर्थ है, सरकार या सरकारी गतिविधियों का नेतृत्व करने या उनका सामना करने के लिए मजबूत भय पैदा करना और भयावह साधनों का उपयोग करना। आतंकवाद युद्ध और रंगमंच का एक संयोजन है, जो हिंसा के मुख्य रूप से सहमत वर्ग का मंचन है; इसे एक राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जोखिम, धमकी और भय पैदा करने के उद्देश्य से निर्दोष और युवा पीड़ितों पर कार्रवाई करनी होगी। आतंकवाद का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और नागरिकों को धमकाना है। आतंकवाद विश्व के सभी देशों की सुरक्षा, संरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए सदैव खतरा उत्पन्न करता है।

वाराणसी, दिल्ली और मुंबई तथा कश्मीर की लोकल ट्रेनों में चल रही आतंकवादी गतिविधियों से हर कोई वाकिफ है। आतंकवादियों द्वारा किए गए धमाकों और विस्फोटों ने भारत के प्रत्येक वफादार नागरिक को क्रोधित कर दिया है। पड़ोसी देश या विद्रोही समूहों द्वारा इस प्रकार की अमानवीय दुष्ट गतिविधि को किसी भी देश द्वारा किसी भी रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि हम इस बुराई को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए निवारक उपाय किए जाने चाहिए। ऐसी घटनाओं को रोकने में कानून को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। संसद पर हमले जैसे मामलों में बरी होने वाले मामले सबूतों की कमी और अभियोजन पक्ष की कमी के कारण होते हैं, कानून के बजाय सजा पाने में दृढ़ संकल्प लिया

मानवाधिकार और आतंकवाद

शांति और सुरक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं और आपस में जुड़े हुए हैं और ये मानवाधिकारों से जुड़े हैं। मानवाधिकारों से इनकार का असर शांति, सद्भाव और सहिष्णुता पर पड़ता है। समाज में अमन-चैन लाने के लिए समाज में किसी भी प्रकार से व्याप्त असमानताओं को दूर करना होगा। शायद, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जिसने सभी धर्मों और संस्कृतियों को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनाया है और सभी प्रकार की विचारधाराओं को बढ़ावा दिया है, चाहे वह राजनीतिक, धार्मिक या दार्शनिक हो। भारत की ताकत धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, बंधुत्व, सार्वभौमिक भाईचारा और सहिष्णुता जैसे उसके राष्ट्रीय मूल्यों में निहित है। भारत के राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बाधित करने के कट्टरपंथी और आतंकवादी तत्वों के प्रयास ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरे में डाल दिया है। भारत कानून के शासन की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। राज्य की शक्ति मुख्य तीन अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित है। प्रत्येक अंग की भूमिका और जिम्मेदारी का उचित रूप से उल्लेख किया गया है, न्यायपालिका को प्रमुख स्थान दिया गया है, और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा के माध्यम से प्रत्येक अंग के कृत्यों की वैधता का परीक्षण करने के लिए संविधान के साधन के रूप में स्थापित किया गया है। मानवाधिकारों के अस्तित्व के लिए, जिनकी रक्षा और संरक्षण के लिए भारत प्रतिबद्ध है। सौभाग्य से जब भारत के संविधान के निर्माता हमारी शासन प्रणाली की रूपरेखा पर विचार-विमर्श कर रहे थे, तो उनके लिए अधिकार-आधारित शासन के कई मॉडल उपलब्ध थे, जिनमें मैग्ना कार्टा में निहित सिद्धांत, स्वतंत्रता की आधारशिला और इसके खिलाफ सिद्धांत शामिल थे। मनमाना और अन्यायपूर्ण नियम; यूके बिल ऑफ राइट्स, 1689; यूएस बिल ऑफ राइट्स, 1791; मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा, 1789 में फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा अपनाई गई; मानव

अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 आदि। भारत ने इन विभिन्न उपकरणों से ज्ञान उधार लिया, लेकिन 'मौलिक अधिकारों' पर एक पूर्ण विस्तृत अध्याय विकसित करके अपना रास्ता तैयार किया।

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों, नागरिकों और विदेशियों को समान रूप से, कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है; कानूनों का समान संरक्षण; भेदभाव के विरुद्ध गारंटी; भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता; संघ बनाने की स्वतंत्रता; आंदोलन की स्वतंत्रता; निष्पक्ष प्रक्रिया की स्वतंत्रता; जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा; शोषण के ख़िलाफ़ आज़ादी; विवेक की स्वतंत्रता; धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता इत्यादि इत्यादि। संविधान राज्य की किसी कार्रवाई को अमान्य करने की सुविधा देता है, यदि उसे मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या कम करने की विशेषता से युक्त पाया जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय गारंटर है और उसे व्यापक शक्तियों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

हमारे हाल के अनुभव से, हमने सीखा है कि निर्दोष और निश्चिंत नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी हमलों से कानून के शासन के साथ-साथ मानवाधिकारों और आतंकवाद के संरक्षण को खतरा है और आतंकवाद को व्यापक रूप से नागरिक जुड़ाव के सामान्य साधनों के स्थान पर हिंसक तरीकों के उपयोग से पहचाना जा सकता है और राजनीतिक भागीदारी। इस संबंध में एक सुझाव यह दिया जा सकता है कि आतंकवादी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के तहत मान्यता प्राप्त अपराध माना जाए, जैसे कि 'मानवता के खिलाफ अपराध' जिसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) जैसे एक सुपरनैशनल ट्रिब्यूनल के समक्ष चलाया जा सकता है। कुछ हलकों में, यह तर्क दिया जाता है कि न्यायपालिका आतंकवाद से निपटने के लिए जांच एजेंसियों की शक्ति पर अनावश्यक अंकुश लगाती है। भारत में, जो लोग इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, वे हमारे आपराधिक और साक्ष्य कानून में बदलाव की भी मांग करते हैं - जैसे कि लंबी अवधि के निवारक निरोध और पुलिस अधिकारियों के सामने की गई स्वीकारोक्ति को अदालत में स्वीकार्य बनाने के प्रावधान। जबकि इस संबंध में अंतिम विकल्प विधायिका के पास है, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम वास्तविक उचित प्रक्रियाओं जैसे संवैधानिक सिद्धांतों को रौंद न दें।' मदन सिंह बनाम मामले में हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इस गारंटी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा में पढ़ा गया था। बिहार राज्य में आतंकवाद" की अभिव्यक्ति देखी गई

शांतिकाल में युद्ध अपराधों के बराबर" जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के एक प्रसिद्ध अधिकारी, डॉ. एलेक्स पी श्मिट ने कहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह कृत्य न केवल पूरे देश के खिलाफ है बल्कि यह कानून के शासन के खिलाफ है और मानवता के खिलाफ भी है।

जीवन का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सबसे कीमती मौलिक अधिकार है। दुर्भाग्य से, जीवन का अधिकार" आतंकवादियों से गंभीर खतरों और जोखिमों के संपर्क में है। सभी आतंकवादी हमले पूरे माहौल को आतंकित और भय से भर देते हैं। जैसा कि इज़रायली सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति अहरोन बराक ने कहा, "आतंकवाद के खिलाफ युद्ध कानून का पालन करने वाले राष्ट्रों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों का कानून तोड़ने वालों के खिलाफ युद्ध है।" मूल संदेश जो पूरी दुनिया के प्रत्येक नागरिक को याद रखना चाहिए वह सुरक्षा के लिए खतरा है और आतंकवाद द्वारा उत्पन्न कानून के शासन को ऐसे उपायों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो मौलिक लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों या कानून के शासन के सिद्धांतों को कमजोर करते हों।

आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, सांप्रदायिक या सामाजिक सद्भाव और मानव जीवन के मूल्य की कोई अवधारणा नहीं होती है। सांप्रदायिक सद्भाव वह नहीं है जो वे चाहते हैं। कोई भी धर्म आतंकवाद या नफरत नहीं फैलाता। सभी के लिए प्रेम वह मूल आधार है जिस पर सभी धर्मों की स्थापना हुई है। ऐसा लगता है जैसे आतंकवादियों को निर्दोष लोगों के जीवन से कोई मतलब नहीं है, वे यह नहीं समझते कि वे समाज को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। देश के लाखों शांतिप्रिय नागरिकों को लोगों के एक समूह द्वारा फिरौती पर रखे जाने की धमकी दी जाती है।

यह सुनिश्चित करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि आतंकवाद का मुकाबला किया जाए। इसे केवल सरकार के भरोसे न होने दें। समग्र रूप से समाज और प्रत्येक व्यक्ति को आतंकवाद के विनाशकारी प्रभाव पर विचार करना होगा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हाथ मिलाना होगा। आतंकवाद की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए सभी का संयुक्त प्रयास जरूरी है। आतंकवादी गतिविधियों की प्रकृति में परिवर्तन आया है। गतिविधियां पहले से कहीं अधिक क्रूर हो गई हैं, और कार्यप्रणाली में भारी बदलाव देखा गया है। आतंकवादी अधिक परिष्कृत हो गए हैं और जानते हैं कि उन जगहों पर कैसे हमला करना है जहां यह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।

सभ्य लोगों के लिए बने कानूनों और नियमों से आतंकवाद जैसे क्रूर दुश्मन से कोई नहीं लड़ सकता। यह नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह के तरीकों को लागू करके ही आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। अन्यथा कानून का शासन विफल हो सकता है और आतंकवाद शासन में आ सकता है।

मानवाधिकार का अर्थ

मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के लिए आवश्यक अधिकारों से होता हैं अर्थात मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के उन न्यूनतम अधिकारों से है जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए, मानव अधिकारों एवं मानव गरिमा की धारणा के मध्य घनिष्ट संबंध है अर्थात् वे अधिकार जो मानव गरिमा को बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकारों का सम्बन्ध मानव की स्वतंत्रता समानता एवं गरिमा के साथ जीने के लिए स्थितियाँ उत्पन्न करने से होता है। मानव अधिकार ही समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करते है जिसमें सभी व्यक्ति समानता के साथ निर्भीकरूप से मानव गरिमा के साथ जीवन यापन कर पाते हैं। प्रो. लास्की ने कहा था कि " अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ है जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है।"

मानव बुद्धिमान व विवेकपूर्ण प्राणी है और इसी कारण उसे कुछ ऐसे मूल तथा अहरणीय अधिकार प्राप्त रहते हैं जिसे सामान्यतया मानवाधिकार या मानव अधिकार कहा जाता है। चूँकि ये अधिकार उनके अस्तित्व के कारण उनसे संबंधित रहते हैं अतः वे उनमें जन्म से ही विहित रहते हैं। इस प्रकार मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिये होते है चाहे उनका मूल, वंश, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ये अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है क्योंकि ये उनकी गरिमा एवं स्वतन्त्रता के अनुरूप है तथा शारीरिक, नैतिक, सामाजिक और भौतिक कल्याण के लिए सहायक होते हैं। ये इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि ये मानव के भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास नहीं कर सकता। मानव जाति के लिए मानव अधिकार का अत्यन्त महत्व होने के कारण मानव अधिकार को कभी-कभी मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अन्तर्निहित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और जन्म अधिकार भी कहा जाता है।

चूँकि मानव अधिकारों को किसी विधायनी ने निर्मित नहीं किया वह बहुत कुछ नैसर्गिक अधिकारों से मिलते है या उनके समान हैं प्रत्येक सभ्य देश या संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था या निकाय उन्हे मान्यता देती है या स्वीकार करती है। मानव अधिकारों को संशोधन की प्रक्रिया के अधीन भी नहीं किया जा सकता है। मानव अधिकारों के संरक्षण के विधिक कर्तव्य में उनका सम्मान करने का कर्तव्य सम्मिलित है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य मानव अधिकारों एवं मॉलिक अधिकारों का सम्मान करते है तथा उनका अनुपालन करने के लिए

वचनबद्ध है । संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लिखित मानव अधिकारों के विषय में चिंता कोई आधुनिक या नवीन बात नहीं है। ऐसे अधिकार वास्तव में नैसर्गिक विधि एवं नैसर्गिक अधिकारों में भूतकाल के महान ऐतिहासिक आन्दोलनों के उत्तराधिकारी है। विश्व के सभी महान धर्मों तथा दर्शन में तथा तत्कालीन विज्ञान के अन्तर्सम्बन्धों की खोज में मानव गरिमा तथा व्यक्ति एवं समुदाय के मूल्यों के सम्मान की बातें कही गयी है। # यद्यपि मानव अधिकार निर्विवाद रूप से आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है फिर भी विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विधिक प्रणाली, उनके विचार तथा उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थितियों में भिन्नता के कारण इस शब्द को परिभाषित करना कठिन है वास्तव में मानव अधिकार सामान्य शब्द है और इसके अन्तर्गत सिविल और राजनैतिक अधिकार तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार सम्मिलित है।

मानवाधिकार की परिभाषा

प्रो. होब्स हाऊस के अनुसार मानवाधिकार वह है, जिसमें हम दूसरों से कुछ आशाएँ करते हैं तथा दूसरे भी हमसे कुछ आशाएँ करते हैं। इस आशा के वातावरण में सभी सार्थक अधिकार समाज कल्याण की शर्तें होती हैं। इस प्रकार मानवाधिकार वह है जिसका दावा प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक कार्यों की पूर्ति के लिए करता है, ऐसे दावों की समाज आशा करता है। ये दावे दूसरे के सामाजिक दायित्व के सहवर्ती हैं। इस प्रकार मानवाधिकार सामाजिक शर्तें हैं।

न्यायमूर्ति होम्स ने प्राकृतिक विधि का उल्लेख करते हुए कहा है कि "अधिकार विशुद्ध रूप से आगमनात्मक कथन की न्यूनतम निश्चित पूर्ति है, जिनके बिना हम जीवन को उत्तम नहीं बना सकते हैं। " प्रो. हार्ट का कथन है कि यदि मानव प्राणी साथ-साथ रहना चाहता है तो उसके लिए कुछ मूल नियमों का अनुपालन करना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार के अनुपालन को मानव अधिकार के नाम से सम्बोधित किया जा सकता है। हैराल्ड जे. लास्की का यह कथन था कि अधिकार मानव के सामाजिक जीवन की ऐसी शर्तें हैं, जिसके बिना कोई व्यक्ति अथवा मानव सामान्यतः अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है।

लास्की के अनुसार- "अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएँ हैं जिनके बिना, सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने पूर्ण विकास की उच्चता को नहीं पहुंच सकता है। "

टी. एच. ग्रीन के मतानुसार, "अधिकार वह शक्ति है जिनकी मांग केवल लोक कल्याण के लिये ही की जाती है और जिन्हें इसी उद्देश्य से मान्यता भी दी जाती हैं।"

बोसीके के शब्दों में अधिकार द्वारा ही मनुष्य समाज में उन्नति कर सकता है अर्थात् ये वे मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है।"

मैकने के अनुसार "अधिकार मानव के सामाजिक हित की वे लाभदायकः परिस्थितियां है जो उसके सच्चे विकास के लिए आवश्यक है।"

आर. जे. विंसेट के विचार में "मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है । "

डेविड सैलबाई कहते हैं कि "मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्ति को प्राप्त हैं, क्योंकि यह स्वयं में मानवीय है, वे पैदा नहीं किये जा सकते, खरीद या संविदावादी प्रक्रियाओं से मुक्त होते हैं।"

उद्देश्य

- संयुक्त राष्ट्र,भारतीय संविधान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का अनुसरण करना, अपनाना और बढ़ावा देना ।
- राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उद्देश्य का पालन करना व संविधान में प्रदत्त मौलिक एवं मानव अधिकारों के लिए सभी को जागरुक करना, अधिकार दिलाने व सुरक्षित करने के उद्देश्य से संघर्ष करना ।

निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, राज्य आतंकवाद और मानवाधिकारों, विशेष रूप से आत्मनिर्णय के मानवाधिकारों के बीच संबंधों को केवल विश्व व्यवस्था के लिए उनके निहितार्थ को समझकर वर्गीकृत किया जा सकता है, दूसरी ओर सरकारों द्वारा उल्लंघन, नरसंहार, आधिकारिक नस्लवाद, बड़े पैमाने पर आधिकारिक आतंकवाद, अधिनायकवादी शासन, बुनियादी मानवाधिकारों को पूरा करने से जानबूझकर इनकार, और दूसरी ओर, आतंकवाद के साथ आत्मनिर्णय की आड़ में "राष्ट्रवाद" का अपवित्र गठबंधन अंतरराष्ट्रीय राज्य-

व्यवस्था को एक खतरनाक स्थिति में डाल देता है, जो आगे बढ़ रहा है। विश्व सार्वजनिक व्यवस्था की नाजुक संरचना का टूटना जो बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई है। विकल्प या तो बल के शासन पर आधारित एक वैश्विक समाज की स्थापना है या कानून के शासन का पालन करने वाले विश्व समुदाय का निर्माण है, मुद्दा वास्तव में "मानव जाति और मानवाधिकार" का अस्तित्व है।

संदर्भ

1. एस.के. सिन्हा, आतंकवाद-एक असम और जम्मू-कश्मीर अनुभव, जर्नल ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वॉल्यूम। 8, 2019, पी. 18.

2. संजय पारिख, अंडरस्टैंडिंग द रूल ऑफ लॉ: डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉ, इंडियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वॉल्यूम। 49, नंबर 2, पब। इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नई दिल्ली, पी. 271.

3. टी.आर. अंध्यारुजिना, आपातकाल और आतंकवाद के समय न्यायिक रीढ़, 4 एससीसी जर्नल, 2019, पी। 5.

4. उपेन्द्र बक्सी, "मानव अधिकारों के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली परिसर, ध्रुवीयता और निहितार्थ के सुधार पर माली गणित समिति की परिचयात्मक आलोचना" सितंबर 2013 एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया।

5. वाई. लक्ष्मीनंद जी राव, आतंकवाद और मानव अधिकारों पर इसका प्रभाव, ऑल इंडिया रिपोर्टर जर्नल, 2012, पीपी. 183-187।

6. वाई. राव, जी. लक्ष्मी, "आतंकवाद और मानव अधिकारों पर इसका प्रभाव", एआईआर (जे) 2012 183 - 187 पर।

7. ए.आर. देसाई: भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, 1973, लोकप्रिय प्रकाशन, बॉम्बे, भारत।

8. ए.एस.नारंग, आतंकवाद: वैश्विक परिप्रेक्ष्य, 2011, कनिष्क प्रकाशक, नई दिल्ली।

9. एंड्रयू सिल्के, आतंकवादी, पीड़ित और समाज, 2013, जॉन विली एंड संस लिमिटेड, द एट्रियम, दक्षिणी गेट, वेस्ट ससेक्स इंग्लैंड।

10. एंटोनी सॉटाइल, ले टेररिज्म इंटरनेशनल, 1938, 65 रेक्यूइल डेस कोर्ट, पेरिस, फ्रांस।

11. बलराज चौहान, मृदुल श्रीवास्तव, और के.ए. पांडे, "आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी कानून" ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ।

12. ब्रूस हॉफमैन, "इनसाइड टेररिज्म", 1988, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क।

13. सी फ़िज्नॉट, जे वाउटास, और एफ नेर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कानूनी उपकरण एक ट्रान्साटलाटिक संवाद "2014 मार्टिनस नाइट ऑफ पब्लिशर्स, बोस्टन

14. जी. वार्डलॉ, 1989. राजनीतिक आतंकवाद: सिद्धांत, रणनीति और जवाबी उपाय, 2 संस्करण लंदन: कैम्ब्रिज प्रेस

15. जी.बी., रेड्डी, "आतंकवाद की रोकथाम से संबंधित भारतीय कानूनी, दक्षिण एशिया में आतंकवाद, भारत से दृश्य", 2014 इंडिया रिसर्च प्रेस, नई दिल्ली।